कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांक- 1916 /मीरजापुर/ 33/ दिनांक, मीरजापुर, अक्टूबर 30, ,2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ ।

विषयः-	रिलायन्स 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि में भूमिगत आप्टिलकल फाइबर केबिल(ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ।

संदर्भः-	आपके कार्यालय पत्र संख्या-409/11-सी-लखनऊ दिनांक- 11.08.2017 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग के पत्रांक- 932/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 20.09.2017 ।

महोदय,

आपके कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक प्रस्ताव में उल्लिखित 09 बिन्दु की आपत्तियों का निराकरण करते हुये प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग ने अपने पत्र संख्या-932/ओबरा/15 भू0ह0, दिनांक 20.09.2017 द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया गया हैः-

क0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण का नाम व दिनांक अंकित नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में प्रयोक्ता अभिकरण का नाम व दिनांक अंकित कर दिया गया है।
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वन भूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट अंकित नहीं की गयी है।	इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि की कानूनी स्थिति रक्षित वन अंकित कर दिया गया है।
3	प्रस्तावित वन भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital map किन्तु के0एम0एल0 फाईल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में ळमव Refferenced Digital map की के0एम0एल0 फाईल शेप की सी0डी0 संलग्न है।
4	वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है जो स्वीकार्य नहीं है। अतः मूल प्रमाण पत्र संलग्न कर आन लाईन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित व चिन्हित छायाप्रति संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में रक्षित वन का गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है।
6	आन लाईन भाग 2 Additional Infornation Details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है, अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में आन लाईन भाग 2 Additional Infornation Details में आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
7	आन लाईन पार्ट-1 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में आन लाईन पार्ट-1 प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8	दोनो वन प्रभाग का आन लाईन प्रस्ताव अलग–अलग अपलोड किया गया है, जिसे आपस में समेकित कर प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है। अतः ओबरा वन प्रभाग का प्रस्ताव अलग प्रस्तुत कर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए संशोधित विषय सूची संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव अलग से प्रेषित किया गया है। जिसमें विषय सूची संलग्न है।
9	दोनो वन प्रभागों का मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति सहित भाग–3 अलग–अलग संलग्न करें।	भाग–3 संलग्न कर दी गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– अ/समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर